



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं0 पटना 978) पटना, बुधवार, 1 दिसम्बर 2021

e | fu"ks/k] mRi kn , oafuc/ku foHkkx
(निबंधन)

vf/kl ipuk
29 नवम्बर 2021

सं0-10/ऋण अवभार-02/2021-4476—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निबंधन शुल्क की तालिका में सम्पत्ति का अवभार मुक्त/अवभार प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शुल्क के निर्धारण के लिए अनुच्छेद "पी0" के बाद नया अनुच्छेद "क्यू0" निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैं:-

अनुच्छेद संख्या	मद का प्रकार	शुल्क का दर
क्यू	सम्पत्ति अवभार मुक्त/अवभार प्रमाण-पत्र	250/- रू0 (दो सौ पचास रुपये)
	(i) एक वर्ष तक और उससे अधिक दस वर्ष तक।	
	(ii) दस वर्ष से अधिक बीस वर्ष तक।	500/- रू0 (पाँच सौ रुपये)
	(iii) बीस वर्ष से अधिक तीस वर्ष तक।	750/- रू0 (सात सौ पचास रुपये)
	(iv) तीस वर्ष से अधिक के लिए।	1000/- रू0 (एक हजार रुपये)

2. शुल्क की दर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
d0 d0 ikBd]
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

29 नवम्बर 2021

सं०-10/ऋण अवभार-02/2021-4476 उपर्युक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
d0 d0 ikBd]
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 29th November 2021

No.- 10/ऋण अवभार-02/2021-4476—In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar is pleased to notify new article "Q" after the article "P" of the table of fee to determine the fee for issuing Non-Encumbrance/Encumbrance certificate of property as follows:-

Article no	Type of item	Rate of fee
Q	Non -Encumbrance/ Encumbrance certificate of Property	
	(i) Up to one year and above up to ten years	Rs 250/- (Two hundred fifty only)
	(ii) Above ten years up to twenty years	Rs 500/- (Five hundred only)
	(iii) Above twenty years up to thirty years	Rs 750/- (Seven hundred and fifty only)
	(iv) For more than thirty years	Rs 1000/- (One thousand only)

2. Rate of fee shall be effective from the date of notification.

By the Order of the Governor of Bihar,
K. K. Pathak,
Additional Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 978-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>